

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लोक

अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर०ए०एस०

08/14

दिनांक: 10.05.2018

मामा

पीराम

मकरण

समस्त पुत्रान रामदेव जाति नायक नि० डोडवाड़ा तह० फुलेरा जिला
जयपुर राज०

वादीगण

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तह० फुलेरा मु० सांभरलोक

प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा

निर्णय

संक्षेप में वाक्यात इस प्रकार से हैं कि आराजी खं०नं० 315 वाकै ग्राम
ना तह० फुलेरा जिला जयपुर राज० में स्थित है जिसमें से भिन्न भिन्न
व्यक्तियों को आराजी आवंटित की जाकर राजस्व रिकोर्ड में भिन्न भिन्न व्यक्तियों
खातेदारी इन्द्राज किये गये व खं०नं० 315 के बट्टा नं० राजस्व रिकोर्ड में
जमाबन्दी में अंकित किये गये। आराजी खं०नं० 315 में से वादीगण को भी 6 बीघा
आवंटित की जाकर उक्त आवंटन शुदा भूमि का खं०नं० 315/592 रकबा 6
कायम किया गया ओर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया गया तथा आवंटित भूमि
का आवंटन तिथि को संभला दिया जिस पर वादीगण काबिज रहकर काश्त
आ रहे है वर्तमान में भी अपनी आराजी पर काबिज काश्त है। आराजी खं०नं०
से जब भिन्न भिन्न व्यक्तियों को आवंटित की गई तो खं०नं० 315 के भिन्न
बट्टा नं० अंकित करते हुये जमाबन्दी में खं०नं० 315 के बट्टा नं० अंकित करते हुये
भिन्न व्यक्तियों की खातेदारी में दर्ज किये गये एवं उक्त बट्टा नंबरान के
नक्शा लट्ठा ट्रेस में भी तरमीम की जानी चाहिए थी परन्तु नक्शों में
नहीं की गयी। आराजी खं०नं० 315 में से जो आराजी वादीगण का आवंटन
है जिसका खं०नं० 315/592 रकबा 6 बीघा कायम किया गया व मौके पर
हुआ जो वाद के संलग्न नक्शों में ए०बी०सी०डी० मार्क से दर्शित है व उक्त
को वादीगण काफी रूपया खर्च कर काफी उन्नत व विकसित कर रखा है
के साथ संलग्न नक्शा वाद का एक अमिन्न अंग है। वादीगण की आराजी का
लट्ठा ट्रेस में तरमीम नहीं होने से अन्य खातेदारों से सीमा सम्बन्धित विवाद

री

... है तथा वादीगण ने अपनी आराजी की नक्शों में तरमीम करने बाबत ...
... व पटवारी हल्का से कई बार निवेदन किया पर वे आश्वासन देते रहे
... में दिनांक 03.03.14 को वाद दायर करने की सलाह दी जिस पर यह
... करना आवश्यक हुआ है।
... वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को
... किया गया। प्रतिवादी की ओर से राज पेशकार नायब तहसीलदार उपस्थित
... प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित किया गया कि
... कोरसीना के आराजी खं0नं0 315/592 रकबा 8 बीघा की खातेदारी भोमाराम,
... रामकरण पि0 रामदेव कौम नायक सा0 डोड़वाड़ा राहिन यूको बैंक शाखा
... मुर्तहीन दर्ज है तथा राजस्व नक्शों में तरमीम दर्ज नहीं है। तनकीयात कायम
... गयी। वकील वादी को साक्ष्य हेतु अनेक अवसर दिये गये परन्तु वकील वादी ने
... नहीं करवायी इसलिए वकील वादी की साक्ष्य बन्द की गयी। पत्रावली
... लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र कोरसीना
... पेश हुयी।

वकील वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी खाता
141 संवत् 2068-71, नक्शा ट्रेस पेश की है।

वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर
वकील व प्रतिवादी के जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन
के बाद वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीगण का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से
... आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि संलग्न नक्शों में राज्य सरकार के
... 10-8-16
... जस्य ग्रुप 6 के अनुसरण में लेण्ड रेवन्यू रूल्स 58 से 68 एवं 86 को मध्य नजर
... हुये विवादित खं0नं0 315 व 315/592 वाकै ग्राम कोरसीना तह0 फुलेरा
... जयपुर राज0 में वादी व अन्य पक्षकारान के कब्जेकाश्त को ध्यान में रखते
... तरमीम नक्शों में किया जावें। यदि उक्तानुसार तरमीम विवादित हो तो
... लदार फुलेरा लेण्ड रेवन्यू ऐक्ट की धारा 130, 131 के अनुसार तरमीमी
... तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करें। वाद के साथ संलग्न नक्शा निर्णय का
... रहेगा। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली
... नुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प
... सीना मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लोक अदालत

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक

मुकाम सांभर लेक

श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0

भोमाराम वगै0 बनाम राज0 सरकार
दावा बाबत घोषणा खातेदारी
मुकदमा नंबर 68/14

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री लोकेश शर्मा व हाजरी
मिनब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया
कि वादीगण का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से
राज्य की डिक्री फरमायी जाती है कि संलग्न नक्शों में राज्य सरकार के 4/10/2016
ग्रुप 6 के अनुसरण में लेण्ड रेवन्यू रूल्स 58 से 68 एवं 86 को मध्य नजर
हुए विवादित खं0नं0 315 व 315/592 वाकै ग्राम कोरसीना तह0 फुलेरा
जयपुर राज0 में वादी व अन्य पक्षकारान के कब्जेकाश्त को ध्यान में रखते
तरमीम नक्शों में किया जावें। यदि उक्तानुसार तरमीम विवादित हो तो
अदालत फुलेरा लेण्ड रेवन्यू ऐक्ट की धारा 130, 131 के अनुसार तरमीमी
तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करें। वाद के साथ संलग्न नक्शा निर्णय का
होगा। निज

मुबलिंग..... बाबत..... खर्चा इस
के मय सूद बशरह..... फीसदी सालाना आज की
से तारीख अदायगी तक..... का अदा करे।
बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 05 सन् 2018
की गई।

दस्तखत.....

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
वजह सबूत			महन्ताना वकील		
वा वकील			खर्चा गवाहान		
गवाहान			फीस कमीशनर		
कमीशनर			बबत इजराय हुक्मनामा		
क			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये
गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।